(129)

10 रु. COURT FEE भारत INDIA TEN RUPEES (court fee stamps)

न्यायालय समक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

PBR/निगरानी/हरदा/2018/02295 प्रकरण कमांक............/2018

1) दिनेशचन्द्र दुबे आत्मज मूलचंद दुबे

2) पंकज बाफना आत्मज नेमीचंद्र बाफना

कमांक 01 व 02 आयु -वयस्क

कमांक 01 व 02 निवासीगण - तहसील

व जिला हरदा म.प्र.......................

श्री दिनेश चन्द्र ... द्वारा आज दि. ... को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 15-5-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

1 सौरभ फुलरे आत्मज संतोष फुलरे

आयु - वयस्क, निवासी - उडा तहसील

व जिला हरदा म.प्र..........................

उत्तरदाता

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

उक्त निगरानी अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला हरदा के द्वारा निगरानी प्रकरण कमाक 01/2016-17 मे पारित आलोच्य अंतिम आदेश दिनांक 12.03.2018 के विरुद्ध दुखित एवं परिवेदित होकर निर्धारित समय अवधि मे न्याय दान हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानी प्रकरण के तथ्य

1) यह कि उत्तरदाता द्वारा एक कथित शिकायत कमांक 3848031 दिनांक 10.08.2017 को सीएम हेल्पलाइन में दर्ज कराई थी उक्त कथित व आधार हीन शिकायत मे उत्तरदाता ने अपनी नानी जसोदा बाई गुर्जर के नाम राजस्व रिकार्ड मे ग्राम कुलहरदा मे भूमि खसरा नम्बर 14/3 दर्ज होना बताते हुए अनुविभागीय अधिकारी हरदा द्वारा निगरानीकर्ता का कब्जा करवा कर उस पर भी अलकापुरी कॉलोनी निर्माण की अनुमति दिया जाना बताते हुए शिकायत का निराकरण करने हेतु निवेदन किया था। जिसके आधार पर अभिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण कमाक 01/2016-17 दर्ज किया जाकर कारवाई प्रारम्भ की ।

2) यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त निगरानीग्रस्थ प्रकरण मे निगरानीकर्ता को व्यक्तिसः सूचना पत्र तामील कराये बिना अनुविभागीय अधिकारी हरदा द्वारा दिनांक 03.06.2017 को विधि विपरीत सीमांकन करवाया जिसमें वास्तविक सीमा चिन्हो के बिना कथित सीमांकन किया गया उक्त सीमांकन में निगरानीकर्ता का अनाधिकृत कब्जा बताया गया उक्त संबंध में अनुविभागीय

(3)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/हरदा/भू0रा0/2018/2295

दिनेश चन्द्र दुबे विरूद्ध सौरभ फुलरे

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों या अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20 -6-2019 20/6/19	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया गया। कलेक्टर हरदा के प्रकरण कमांक 01/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 12-3-2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई, जो आदेश दिनांक 12-4-2018 से निगरानी इस आधार पर अग्राह्य की गई कि कलेक्टर ने म0प्र0 नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बधन एवं शर्त) नियम 1997 के तहत ओवदक को जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र निरस्त किया गया है, उक्त नियमों के तहत राजस्व मण्डल को निगरानी सुनने का अधिकारिता नहीं है। राजस्व मण्डल के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा मान0 उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया जिसमें डब्ल्यू.पी. 9413/2018 में पारित आदेश दिनांक 01-5-2018 से यह निष्कर्ष निकालते हुये प्रकरण राजस्व मण्डल को सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया कि उक्त प्रकरण में कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी में संहिता की धारा 250 के बिन्दु का भी निराकरण किया है जिसपर सुनवाई का अधिकार राजस्व मण्डल को है। ऐसी स्थिति में मान0 उच्च	

न्यायालय द्वारा आवेदक को मण्डल में पुनर्विलोकन प्रस्तुत करने के आदेश दिये तथा जब तक राजस्व मण्डल स्थगन आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं करता, तब तक प्रतिवादी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने संबंधी आदेश दिये।

मान0 उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में आवेदक द्वारा इस न्यायालय में पुनर्विलोकन आवेदन दायर किया जिसपर अन्य पीठ द्वारा आदेश दिनांक 07–6–2018 को पुनर्विलोकन आवेदन स्वीकार कर मूल निगरानी प्रकरण कमांक 2295/2018 पुनः नम्बर में लिये जाने के आदेश दिये। इस मूल निगरानी पर ही आज प्रकरण में तर्क श्रवण किये गये।

3/ म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरूद्ध निगरानी में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं रह गा है। अतः उक्त नवीन संशोधन के फलस्वरूप यह निगरानी आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।

पक्षकार दिनांक 15–07–2019 को आयुक्त नर्मदापुरम संभाग के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। अधीनस्थ कलेक्टर न्यायालय हरदा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–3–2018 का कियान्वयन आगामी तिथि तक स्थगित रहेगा।

(आर.के. जैन) 20/6/19
सदस्य